

25.01.2024:-पत्रावली आज वादी वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी को नया वादपत्र प्रस्तुत करने कि अनुमती के साथ विद्वा किया जाने कि अनुमति प्रदान करे। वादी को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली को अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादी का वादपत्र मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो। पक्षकार पुनः नये सिरे से दावा लगाने के लिए स्वतंत्र रहेगा। आदेश सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डधिकारी
हनुमानगढ़



Web Copy - Not Original